>

Title: Need to abolish TDS imposed on compensation money given to

farmers by ONGC in lieu of acquisition of land .

श्री जीवाभाई ए. पटेल (मेहसाना): मेरे संसदीय क्षेत्र मेहसाणा में तेल एवं गैस काफी मात्रा में मिल रहा है और बड़े पैमाने पर किसानों की जमीन को अधिगृहित किया जा रहा है। जिस किसान की जमीन पर तेल एवं गैस मिलता है उसकी जमीन का मुआवजा ओएनजीसी देती है परंतु जब उनको जमीन का मुआवजा मिलता है तो उन पर केंद्र सरकार द्वारा टीडीएस लिया जाता है जिसको वापस लेने के लिए वकील करने पड़ते हैं और न्यायालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं जिसके कारण किसानों को काफी धन खर्च करना पड़ता है। किसानों को उनकी कृषि भूमि का जो मुआवजा मिलता है उस पर टीडीएस नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि यह कृषि से जुड़ा मामला है एवं अधिग्रहण के बाद ओएनजीसी द्वारा तेल एवं गैस निकालने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि किसानों की जमीन को जब ओएनजीसी अधिगृहीत करती है तो उन पर टीडीएस नहीं लिया जाए।